UNNAO POLICE

प्रेस नोट 01- दिनांक 13.06.2024
थाना बांगरमऊ,जनपद उन्नाव।

गोवध निवारण अधिनियम में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी व श्रीमान क्षेत्राधिकारी बांगरमऊ के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बांगरमऊ पुलिस द्वारा गोवध निवारण अधिनियम में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- थाना बांगरमऊ पर दिनांक 15.05.2024 को मु0अ0सं0 166/24 धारा 3/5ए/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम बनाम टाटा ट्रक नं0 UP 42 AT 5910 के मालिक व चालक नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 13.06.2024 को थाना बांगरमऊ पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त हनीफ पुत्र मो0 सफी नि0 मटेरवा पाकरगांव थाना मोहनगंज तहसील तिलोई जनपद अमेठी उम्र करीब उम्र करीब 58 वर्ष को आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे हरदोई अण्डरपास पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- हनीफ पुत्र मो0 सफी नि0 मटेरवा पाकरगांव थाना मोहनगंज तहसील तिलोई जनपद अमेठी उम्र करीब उम्र करीब 58 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 बालकृष्ण द्विवेदी
2. हे0कां0 महेन्द्र कश्यप

प्रेस नोट 02- दिनांक 13.06.2024
थाना मौरावां,जनपद उन्नाव।

गैर इरादतन हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी व श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुरवा के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मौरावां पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 12.06.2024 को वादिनी श्रीमती गंगा दुलारी पत्नी भगौती प्रसाद लोधी नि0 ग्राम चन्दीबक्श खेडा थाना मौरावां जनपद उन्नाव द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 10.06.2024 को समय 14.00 बजे वह अपने पति भगौती प्रसाद व पुत्र श्री नारायन के साथ घर पर मौजूद थी तभी वादिनी के लडके श्री नारायन व भगौती प्रसाद के मध्य परिवारिक बात को लेकर विवाद होने लगा तभी श्री नारायन ने गुस्से मे आकर लकड़ी की मजबूत फन्टी से 6-7 बार भगौती प्रसाद के सिर पर मार दिया जिससे सिर मे काफी चोट आ गयी । भगौती प्रसाद को अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गयी। वादिनी के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर दिनांक 12.06.2024 को मु0अ0सं0-264/2024 धारा 304/201 आईपीसी बनाम 1. श्रीनारायण पुत्र भगौती प्रसाद लोधी नि0 ग्राम चन्दीबक्श खेडा थाना मौरावां जनपद उन्नाव उम्र 32 वर्ष पंजीकृत किया गया। अभि0 श्री नारायण उपरोक्त को मौरावां पुलिस द्वारा आज दिनांक 13.06.2024 को ग्राम चन्दीबक्शखेडा से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.श्रीनारायण पुत्र भगौती प्रसाद लोधी नि0 ग्राम चन्दीबक्श खेडा थाना मौरावां जनपद उन्नाव

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. व0उ0नि0 श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह
2. कां0 डिगम्बर सिंह
3. कां0 रोहन